24/07/2019

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित।
उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी गई।
अपील सहायक कलक्टर शिव के प्रकरण सं० 15/16 पूरराम s/o हरिराराम बनाम तहसीलदार शिव अन्तर्गत धारा 88 में निर्णय दि. 12.3.16 के विरुद्ध पेश हुई है। यह निर्णय "लोक अदालत कैम्प शिव में हुआ जिसमें वादी पूरराम s/o हरिराराम स्वयं उपस्थित हुआ। आदेशिका दि. 12.3.16 के हाशिये पर पटवारी की रिपोर्ट भी स्पष्ट है कि "पूरराम पुत्र हरिराराम" सही है, इसलिए "पूरराम पुत्र हरिराराम" किया जाना उचित है"। यह रिपोर्ट "पूरराम वल्द केहराराम" खातेदार रूप में वादग्रस्त आराजी में दर्ज प्रविष्टि के सही कराने के दावे में की गई। निष्कर्षतः ग्राम हेमानाडा के खेत ख.नं० 411 रकबा 15.06 बीघा में वांछित दुरुस्ती के आदेश दिये जाकर निर्णय किया गया।

अपीलांट "पूरराम पुत्र केहराराम" (उम्र 75 वर्ष) एवं रेस्पोंडेंट "पूरराम पुत्र हरिराराम (उम्र 50 वर्ष) दावे एवं अपील में अंकित अनुसार पृथक-पृथक व्यक्ति है। वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान कराने का एक आवेदन "पूरराम पुत्र केहराराम" ने नाम साम्य एवं रिकार्ड का फायदा उठाने की नीयत से किया जिसे उपखण्ड अधिकारी शिव ने दिनांक 13-5-2016 को निस्तारित करते हुए इस निष्कर्ष के साथ कि "प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार नहीं होने व वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भी प्रार्थी का नाम नहीं होने से प्रार्थी इस खेत की पैमाइश करवाने का अधिकारी नहीं है।" निर्णीत कर दिया। इस पर पूरराम s/o हरिराराम ने एक FIR भी दर्ज कराई जिसमें भी नतीजा है कि —"

P.T.O

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	"जब गांव वालों ने बताया कि यह जमीन तेरी नहीं है तब पुराराम पुत्र केहरा ने इस बात को मान लिया तथा अपना आवेदन निरस्त करवा दिया था। पुराराम पुत्र ईशराराम ने भी दावा पेश कर नाम में संशोधन करवा लिया था। पुराराम पुत्र केहराराम ने कभी भी इस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की और न ही अब करने की कोशिश कर रहा है।" उपरोक्त तथ्यपरक विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट सद्भाविक नहीं है इसलिए खारिज योग्य है। अपील अपीलांट सारहीन, असद्भाविक एवं तथ्यों से परे आधिकारविहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दि० 12-3-2016, जो वाद सं० 15/2016 बउनवान पुराराम बनाम सरकार में पारित किया गया है वह सर्वथा उचित एवं विधि सम्मत होने से यथावत रखा जाता है। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner